Pinky Rani
Guest Faculty
Department of Economics
Maharaja College
Veer Kunwar Singh University, Ara
Class: B.A. Economics (Sem-3rd)
Paper: MDC-3
Topic: Government measures to promote small scale industries
Date: 25-10-2024

महत्वपूर्ण तथ्य

मूल रूप से, लघु उद्योग मंत्रालय था, हालांकि, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के साथ 9 मई 2007 को एमएसएमई मंत्रालय में विलय किया गया था।

सितंबर 2015 में, उद्योग आधार ज्ञापन (यूएमए) ने जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) में पंजीकरण करने के लिए पहले छोटे पैमाने की इकाइयों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रणाली को बदल दिया।

लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी उपाय

संगठनात्मक उपाय

- बोर्डों की स्थापना
- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी)
- औद्योगिक संपदा
- जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी)

वित्तीय उपाय

- लघु उद्योग विकास कोष (एसआईडीएफ) – लघु उद्योगों के विकास, विस्तार, आधुनिकीकरण, पुनर्वास के लिए पुनर्वित्त (यानी एसएसआई को उनके उधार के बदले वित्तीय संस्थानों को वित्त) सहायता प्रदान करने के लिए 1986 में स्थापित किया गया था।

- राष्ट्रीय इक्विटी फंड (एनईएफ)
- सिंगल विंडो स्कीम (एसडब्ल्यूएस)
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI):—यह अक्टूबर 1989 में लघु उद्योग विकास कोष (SIDF) और प्राकृतिक इक्विटी कोष (NEF) के समामेलन द्वारा स्थापित किया गया था।

राजकोषीय उपाय

- 1 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले लघु उद्यमों को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है।
- एसएसआईएस द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ प्रकार के कच्चे माल और घटकों के आयात पर सीमा शुल्क की रियायती दर लगाई जाती है।
- सरकारी खरीद कार्यक्रम में छोटे पैमाने के क्षेत्र में निर्मित उत्पादों को मूल्य और खरीद वरीयता दी जाती है।

तकनीकी सहायता

- लघु उद्योग विकास संगठन (SIDO):— इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। SIDO अपने विस्तार केंद्रों और सेवा संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से SSI को तकनीकी, प्रबंधकीय, आर्थिक और विपणन सहायता प्रदान करता है।
- ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (CART):- इसकी स्थापना 1982 में ग्रामीण उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी।
- प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण कोष (TDMF):- यह निर्यातोन्मुख इकाइयों के तकनीकी उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए स्थापित किया गया था।

एसएसआईएस के लिए मदों का आरक्षण

- छोटे पैमाने के क्षेत्र के लिए कुछ वस्तुओं को आरक्षित करने की नीति 1967 में शुरू की गई थी।
- इसका उद्देश्य SSIs को बड़े पैमाने की इकाइयों के साथ प्रतिस्पर्धा से बचाकर उन्हें बढ़ावा देना है। अप्रैल 1967 में आरक्षित श्रेणी में केवल आइटम थे जिन्हें 1984 में कई चरणों में बढ़ाकर 873 कर दिया गया था।

- आरक्षण की नीति की कई अर्थशास्त्रियों द्वारा व्यापक रूप से आलोचना की गई क्योंकि इसने आरक्षित वस्तुओं के उत्पादन और उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। इसलिए, सरकार ने SSIs के लिए वस्तुओं के आरक्षण की नीति की समीक्षा के लिए आबिद हुसैन समिति की नियुक्ति की।
- समिति ने 1997 में इस टिप्पणी के साथ अपनी रिपोर्ट दी कि आरक्षण की नीति ने वास्तव में ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में लगे SSIs की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम कर दिया है।
- आरक्षित वस्तुओं के उत्पादन में केवल कुछ SSIs शामिल थे और SSIs के कुल उत्पादन की तुलना में उनका उत्पादन लगभग नगण्य था। इस प्रकार, समिति ने सिफारिश की कि SSIs के लिए मदों के आरक्षण की नीति को छोड़ दिया जाना चाहिए।